पत्र संख्या–6 / योजना–01–09 / 2015 गृ0आ0.................... /

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद

सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक सितम्बर, 2016

विषयः– **VVIP/VIP सुरक्षा हेतु क्रय किये गये 4 अदद Portable Jammer की शेष राशि ₹ 38,44,290 (अड़तीस लाख चौवालीस हजार दो सौ नब्बे रू0) विमुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक–748 / आपूर्ति, दिनांक–18.07.2016 के संबंध में कहना है कि गृह (आरक्षी) विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या–1780, दिनांक–16.03.2015 द्वारा VVIP/VIP सुरक्षा हेतु 4 अदद Portable Jammer के क्रय हेतु ₹ 160.00 लाख (एक करोड़ साठ लाख रू0) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं पूर्ण राशि विमुक्त की गयी थी। अपरिहार्य कारणवश राशि का व्यय उक्त वित्तीय वर्ष में नहीं हो सका। उक्त योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत्यादेश सं0–3029, दिनांक–06.05.2016 द्वारा ₹ 160.00 लाख (एक करोड़ साठ लाख रू0) विमुक्त किया गया था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हैदराबाद से प्राप्त Proforma invoice में उक्त 4 अदद Portable Jammer का मूल्य सभी कर सहित ₹ 1,53,77,161.80 (एक करोड़ तिरेपन लाख सतहत्तर हजार एक सौ एकसठ रू0 अस्सी पैसा) मात्र है। Proforma invoice के नियम एवं शर्तों के अनुसार 75% राशि अर्थात ₹ 1,15,32,871 (एक करोड़ पन्द्रह लाख बत्तीस हजार आठ सौ एकहत्तर रू0) का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015–16 में किया जा चुका है। उक्त उपकरणों के क्रय हेतु शेष 25% राशि यानि ₹ 38,44,290 (अड़तीस लाख चौवालीस हजार दो सौ नब्बे रू0) चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 38,44,290 (अड़तीस लाख चौवालीस हजार दो सौ नब्बे रू0) राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या–22 के बजट मुख्य शीर्ष''2055–पुलिस, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–115–पुलिस बल का आधुनिकीकरण, उपशीर्ष–0102–पुलिस प्रशासन एवं ढॉचागत सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु'' विपत्र कोड P2055001150102 एवं राज्य योजना स्कीम कोड– HOM–5416 तथा विषयशीर्ष–52 01–मशीने एवं उपस्कर के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

5. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

7. उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

8 कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

9. उपर्युक्त पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0:–6 / योजना–01–09 / 2015 गृ0आ0 7039 / पटना, दिनांक 5 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना / अपर पुलिस महानिदेशक, (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक (विशेष शाखा), बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं